संख्याः ई0डी0एन0–वी–वी(14)–12/2018
हिमाचल प्रदेश सरकार
उच्चतर शिक्षा विभाग

प्रेषक

सचिव (शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रेषित

1. निदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग,
   हि0 प्र0, शिमला–171001.

2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,
   हि0 प्र0, शिमला–171001.

3. राज्य परियोजना निदेशक,
   समग्र शिक्षा अभियान, हि0 प्र0, शिमला–1

4. निदेशक तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
   हि0 प्र0, स्थित सुन्दरनगर,जिला मंडी.

दिनांकः शिमला–171002, 18|1| 2021

विषयः– हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों को पुनः खोलने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे इस विभाग के समसंख्यक पत्रों दिनांक 08.10.2020 और 07.01.2021 की निरंतरता में सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को पुनः खोलने बारे लिए गए निम्नलिखित निर्णय एवं उससे सम्बन्धित दिशानिर्देशों को सम्प्रेषित करने का निर्देश हुआ है :–

i) ग्रीष्म कालीन अवकाश वाले राजकीय विद्यालयों में दिनांक 27.01.2021 से

सभी अध्यापक विद्यालय में उपस्थित होगें। विद्यालय प्रबंधन भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.10.2020 को जारी एस.ओ.पी. के अनुसार सैनिटाइजेशन व शिक्षण कार्य की व्यवस्था करेगा।

ii) ग्रीष्म कालीन अवकाश वाले विद्यालयों में दिनांक 01.02.2021 से कक्षा 5, कक्षा 8 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी एस.ओ.पी. का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करेंगें। विद्यालय प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि मास्क, दो गज की दूरी तथा हैंड सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया का पूर्ण तौर पर पालन किया जाए।

iii) शीतकालीन अवकाश की समाप्ति पर दिनांक 15.02.2021 से शीतकालीन अवकाश वाले राजकीय विद्यालयों में भी कक्षा 5, कक्षा 8 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी एस.ओ.पी. का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करेंगें।

iv) हर घर पाठशाला के माध्यम से सभी कक्षांओं के लिए ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था भी जारी रहेगी।

v) प्रदेश में स्थित निजी विद्यालय भी उपरोक्त व्यवस्था अपना सकते हैं।

vi) शीतकालीन अवकाश के उपरांत दिनांक 08.02.2021 से प्रदेश के सभी महाविद्यालय एस.ओ.पी. का पालन करते हुए शिक्षण हेतु खुलेगें।

vii) प्रदेश में आई.टी.आई, पॉलिटेकनिक, व इजीनियरिंग संस्थान भी दिनांक 01.02.2021 से शिक्षण हेतु खुलेगें।

उपरोक्त के मद्देनजर आपसे तदानुसार कार्यवाही करने तथा इन निर्णयों/दिशानिर्देशों को छात्रों और अभिभावकों की सूचना हेतू सार्वजनिक करने एवं विभागीय पोर्टल (official website) पर भी प्रकाशित करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश)
संयुक्त सचिव (उच्च शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार,

पृष्ठांकन स०: दिनांकः शिमला–171002, 18|1| 2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रधान सचिव, (सामान्य प्रशासन) हि० प्र० सरकार, शिमला–171002 को मन्त्रीमंडल की 16.01.2021 को सम्पन्न हुई बैठक में मद संख्या 15 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय की अनुपालना के संदर्भ में ।
2. सचिव, (तकनीकी शिक्षा), हि० प्र० सरकार, शिमला को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सचिव, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, जिला कांगडा, हि० प्र०।
4. प्रधानाचार्य, SCERT, सोलन, जिला सोलन, हि० प्र०।

(वेद प्रकाश)
संयुक्त सचिव (उच्च शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार,

*** ** ** ** ***

उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

पृष्ठांकन संख्याः- ईडीएन-एच(पीएस/डीएचई)-01/2021- दिनांकः 19.01.2021

प्रतिलिपिः-

1. सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा-हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001
3. समस्त उपनिदेशक, उच्चतर शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश
4. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय, निजि महाविद्यालय, 95% सहायता प्राप्त निजि महाविद्यालय एवं प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक, समस्त राजकीय एवं निजि वरिष्ठ माध्यमिक/उच्च पाठशालाएं, हि.प्र. को इस आशय सहित प्रेषित है कि विद्यार्थियों के आवागमन, दैनिक समय सारिणी एवं मध्याहन अवकाश की व्यष्टियोजना (Microplan) सम्बन्धित जिला उपनिदेशकों के माध्यम से विभाग को 29.01.2021 तक उपलब्ध करवाएं। इसके अतिरिक्त सभी प्राचार्यों, प्रधानाचार्यों एवं मुख्याध्यापकों को संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या व कक्षा विशेष में विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए विद्यार्थियों को वैकल्पिक दिवसों में बुलाने हेतू भी प्राधिकृत किया जाता है।

(डा. अमरजीत कुमार शर्मा)
उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हि.प्र.